

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7147/2024

1. छोटूलाल पुत्र मोतीलाल, मृतक- कानूनी उत्तराधिकारी-
- 1/1. विमला पत्नी मृतक छोटूलाल, निवासी ग्राम दौलतपुरा- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां- राजस्थान।
- 1/2. शिवराज पुत्र मृतक छोटूलाल, निवासी ग्राम दौलतपुरा- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां- राजस्थान।
- 1/3. विष्णु प्रसाद मृतक छोटूलाल, निवासी ग्राम दौलतपुरा- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां- राजस्थान।
- 1/4. विनोद पुत्र मृतक छोटूलाल, निवासी ग्राम दौलतपुरा- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां- राजस्थान।
- 1/5. चेतन पुत्र मृतक छोटूलाल, निवासी ग्राम दौलतपुरा- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां- राजस्थान।
2. मथुरालाल पुत्र मोतीलाल, निवासी ग्राम दौलतपुरा- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां- राजस्थान।
3. धनराज पुत्र मोतीलाल (चूंकि उनका निधन संतानहीन हो गया है और उनके भाई और बहन पहले से ही वादी-याचिकाकर्ता संख्या 4 से 8 के रूप में अभिलेख पर हैं)
4. शंकर पुत्र मोतीलाल, निवासी ग्राम दौलतपुरा- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां- राजस्थान।
5. काली बाई पुत्री मोतीलाल, निवासी ग्राम दौलतपुरा- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां- राजस्थान।
6. रामभरोसी पुत्री मोतीलाल, अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से
- 6/1. मुरारी सुमन (पुत्र), निवासी ग्राम दौलतपुरा- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां- राजस्थान।

- 6/2. हेमलता सुमन (पुत्री), निवासी ग्राम दौलतपुरा- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां- राजस्थान।
- 6/3. मधु सुमन (पुत्री), निवासी ग्राम दौलतपुरा- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां- राजस्थान।
- 6/4. वंश सुमन (पुत्र), निवासी ग्राम दौलतपुरा- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां- राजस्थान।
7. पार्वती पुत्री मोतीलाल, निवासी ग्राम दौलतपुरा- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां- राजस्थान।
8. संतोष पुत्री मोतीलाल, निवासी ग्राम दौलतपुरा- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां- राजस्थान।

-----याचिकाकर्ता-वादी

बनाम

1. घासी पुत्र रामा, निवासी ग्राम पछाड़- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां- राजस्थान।
2. सूरजमल पुत्र रामा, निवासी ग्राम पछाड़- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां- (मृतक)
कानूनी उत्तराधिकारी-
- 2/1. रामी बाई पत्नी सूरजमल, निवासी पछाड़- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां
- 2/2. घनश्याम पुत्र सूरजमल, निवासी पछाड़- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां
- 2/3. मांगी बाई पुत्री सूरजमल, निवासी पछाड़- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां
- 2/4. रेखा पुत्री सूरजमल, निवासी पछाड़- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां
- 2/5. ममता पुत्री सूरजमल, निवासी पछाड़- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां
- 2/6. अनीता पुत्री सूरजमल, निवासी पछाड़- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां
- 2/7. सुनीता पुत्री सूरजमल, निवासी पछाड़- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां
3. धूली बाई पुत्री रामा पत्नी अमारा, निवासी पछाड़- तहसील छिपाबड़ोद- जिला बारां

4. राजस्थान राज्य, तहसीलदार, छिपाबड़ोद, जिला बारां के माध्यम से

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री जे.के. सिंघी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री तरुण कुमार वर्मा, अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन

निर्णय आरक्षित किया गया दिनांक

16.07.2024

निर्णय सुनाया गया दिनांक

23.07.2024

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 88, 89 और 91 के तहत दायर वाद की खारिज और दोनों अपीलों की खारिज से व्यथित होकर, वर्तमान याचिका दायर की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता/वादी (जिन्हें आगे 'याचिकाकर्ता' कहा गया है) ने यह वादपत्र प्रस्तुत करते हुए एक वाद दायर किया कि ग्राम बंबोरी गाटा, तहसील छिपाबड़ोद में खसरा संख्या 32, जिसका माप 19 बीघा 12 बिस्वा है, उनके पूर्वजों के स्वामित्व में था और याचिकाकर्ताओं के कब्जे में है। यह भूमि याचिकाकर्ता के पिता और पति को दिनांक 28.07.1959 के आवंटन पत्र के माध्यम से आवंटित की गई थी, लेकिन यह भूमि प्रतिवादी/प्रतिवादीगण (जिन्हें आगे 'प्रतिवादी' कहा गया है) के खाते में दर्शायी गई थी। प्रार्थना यह थी कि याचिकाकर्ताओं को काश्तकार घोषित किया जाए और काश्तकारी को राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाए। प्रतिवादियों ने यह बचाव प्रस्तुत किया कि यह भूमि उनके पूर्वजों को 08.09.1958 को आवंटित की गई थी और उनकी खातेदारी राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए

प्रतिवादा दायर किया गया था। यह भी निवेदन किया गया था कि प्रतिवादी अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं। अतिरिक्त कलेक्टर ने विचार किया कि:-

- (i) प्रतिवादियों को भूमि का आवंटन समय में पहले हुआ था और उसे चुनौती नहीं दी गई थी;
- (ii) याचिकाकर्ता केवल कब्जे के आधार पर काश्तकार के रूप में घोषणा की मांग कर रहे थे, और (iii) अधिनियम की धारा 42 के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आवंटित भूमि गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पहली अपील और दूसरी अपील क्रमशः 11.08.2016 और 29.09.2022 को खारिज कर दी गई। अतः, वर्तमान याचिका दायर की गई है।

- 3. याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनियम की धारा 42 लागू नहीं थी क्योंकि भूमि याचिकाकर्ताओं के पूर्वजों को राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई थी और यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा बिक्री या उपहार का मामला नहीं था।
- 4. कोई अन्य बिंदु नहीं उठाया गया है।
- 5. वाद को इस बात पर विचार करते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रश्नगत भूमि का आवंटन प्रतिवादियों के पूर्वजों के पक्ष में 08.09.1958 को हुआ था, अर्थात् याचिकाकर्ताओं द्वारा जिस आवंटन पर भरोसा किया गया था, उससे पहले। प्रतिवादियों के पूर्वजों को भूमि का आवंटन अचुनौतीपूर्ण रहा। प्रतिवादी के पूर्वजों को आवंटन के जाली या मनगढ़ंत होने का कोई आरोप नहीं था। प्रतिवादियों के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदार के रूप में दिखाए जा रहे थे। याचिकाकर्ता केवल भूमि के कब्जे के आधार

पर काश्तकार होने की घोषणा की मांग कर रहे थे। उपरोक्त के अतिरिक्त, यह भी ध्यान में रखा गया कि प्रतिवादी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित थे और अधिनियम की धारा **42** के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आवंटित भूमि गैर-अनुसूचित जाति या गैर-अनुसूचित जनजाति सदस्य को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है।

6. विचाराधीन निर्णय को चुनौती देने का एकमात्र आधार यह है कि अधिनियम की धारा **42** लागू नहीं है। उठाया गया मुद्दा विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं रखता है क्योंकि याचिकाकर्ताओं के पिता/पति के पक्ष में भूमि के वैध आवंटन को साबित करने में विफलता के कारण वाद खारिज कर दिया गया था। प्रतिवादी अपनी भूमि का आवंटन अपने पूर्वजों को समय से पहले और यह कि प्रतिवादी की खातेदारी राजस्व अभिलेख में दर्ज है, स्थापित करने में सफल रहे।
7. अधिनियम की धारा **42** पर भरोसा करते हुए प्रतिवादियों के पक्ष में एक मुद्दे पर निर्णय, यदि उलट भी दिया जाए, तो अतिरिक्त कलेक्टर और अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को प्रभावित नहीं करेगा।
8. रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है और निचली अदालतों द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
9. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश झिंगन), जे

एचएस/चंदन/200

रिपोर्ट करने योग्य:-हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

MITALI KARWA, ADVOCATE
Office At-
O.N. 417, 4th Floor, Sunny Paradise, Tonk Road,
Jaipur- 302018
M:- (+91)9001197999
R/5754/2022

